संख्याः 679 / XVII(4)/2013/119/08-T.C.

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 12 मार्च, 2013

विषयः— आंगनबाडी केन्द्र के भवन निर्माण के लिए जनपद स्तर पर समिति का गठन तथा पूर्व में अवमुक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—3915—16 / आई0सी0डी0एस0 / आ0बा0भ0—448—111 / 12—13 दिनांक 19 फरवरी 2013, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य एवं अनुसूचित जाति के आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए शासनादेश संख्या—1634 / XVII(4) / 2012 / 02(2) / 12 दिनांक 23 जुलाई 2012 द्वारा अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत ₹80.00 लाख तथा सामान्य योजनान्तर्गत ₹200.00 लाख अर्थात कुल अवमुक्त ₹280.00 लाख की धनराशि के उपयोग / व्यय की स्वीकृति के साथ—साथ आंगनबाडी के भवनों के निर्माण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का एतद्द्वारा गठन किया जाता है :—

1— मुख्य विकास अधिकारी	—	उपाध्यक्ष
2— जिला कार्यक्रम अधिकारी	—	सचिव
3— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी	—	सदस्य
4— अधिशासी अभियन्ता (आर0ई0एस0)	—	सदस्य
5— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य
6— जिला पंचायत राज अधिकारी	—	सदस्य
7— अधिशासी अभियन्ता (पी0डब्लू0डी0 / सिंचाई)	—	सदस्य
8— सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी	—	सदस्य

समिति के कार्य एवं दायित्वः–

1– समिति आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में से उपर्युक्त स्थल का चयन कर सकेगी।

2– भवन निर्माण हेतु भूमि प्राथमिकता के आधार पर क्रमशः प्राथमिक पाठशाला, ग्राम पंचायत या निजी दानदाता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी गई, भूमि पर ही किया जायेगा।

3– ग्राम पंचायत से इतर निःशुल्क भूमि का पंजीकरण ग्राम पंचायत के नाम कराना होगा। आंगनवाडी केन्द्र के निर्मित भवन को ग्राम पंचायत की परिसम्पति पंजिका में भी दर्ज कराना होगा।

4 –समिति पेयजल, स्वजल, ग्राम विकास (मनरेगा) आदि अन्य विभागों के साथ समन्वय करेगी।

5– विभाग द्वारा प्रति आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु रूपये–5.00 लाख ही प्रदान किया जायेगा, यदि किसी केन्द्र के निर्माण पर रूपये–5.00 लाख से अधिक की धनराशि व्यय होती हैं तो अन्य विभागों/योजनाओं जैसे–मनरेगा, ग्राम पचांयत निधि के साथ समन्वय कर धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु समिति के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

6– समिति आंगनवाडी केन्द्र के भवन निर्माण विषयक आंगणन तैयार करवायेगी एंव उसकी समीक्षा कर सकेगी।

7– समिति निर्माण कार्यो पर स्वीकृति प्रदान करते समय मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्र संख्या–288/10 अधिप्राप्ति/11 दिनांक 14–03–2011 के द्वारा निर्धारित केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स **(SOR)** के अनुरूप ही स्वीकृति प्रदान करेगी।

8– समिति उपलब्ध संसाधनों की सीमा में आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु ड्राईग तैयार करवा सकेगी,एवं ड्राईंग का अनुमोदन करेगी ।

9– समिति आंगनवाडी केन्द्र के भवन निर्माण कार्यों के आंगनणन पर स्वीकृति प्रदान करेगी।

10—समिति प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण करेगी तथा निर्माण में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

11—आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

12—समिति भवन निर्माण हेतु अवमुक्त की जाने वाली/की गई धनराशि के सापेक्ष प्रगति का मूल्याकंन कर अपनी संस्तुति देगी।

13—समिति पेयजल, स्वजल,ग्राम विकास,(मनरेगा) आदि अन्य विभागों के साथ समन्वय करेगी।

14—सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि भवन निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए समय पर बैठक का आयोजन करायेगे। निर्माण में शिथिलता/ मानकों की अनदेखी का प्रकरण संज्ञान में आने पर उपरोक्त अधिकारी उसे समिति के अध्यक्ष के समक्ष/संज्ञान में लाने हेतु उत्तरदायी होगें।

15. आंगनवाडी भवन हेतु मानचित्र (ड्राईंग):—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा तैयार की गई आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु माडल मानचित्र (ड्राईंग) संलग्न कर समिति को प्रेषित किया जायेगा, यद्यपि समिति उपलब्ध संसाधनों की सीमा में आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु मानचित्र (ड्राईंग) अलग से भी तैयार करा सकती है। मानचित्र (ड्राईंग) का अंतिम अनुमोदन समिति द्वारा ही किया जायेगा।

16.जनपदवार·स्वीकृत की जाने वाली धनराशि:—

स्वीकृत धनराशि ₹ लाख में—					कुल धनराशि
जनपद का नाम	भवनों की संख्या		अनुसूचित जाति उपयोजना धनराशि	आंगनबाडी केन्द्रों (सामान्य) धनराशि	
	SCSP	GEN.			
देहरादून	01	03	05.00	15.00	**20.00**
हरिद्वार	02	03	10.00	15.00	25.00
टिहरी	01	02	05.00	10.00	15.00
रूद्रप्रयाग	01	02	05.00	10.00	15.00

पौडी गढवाल	02	05	10.00	25.00	35.00
उत्तरकाशी	01	02	05.00	10.00	15.00
बागेश्वर	01	02	05.00	10.00	15.00
चम्पावत	01	02	05.00	10.00	15.00
पिथौरागढ	01	04	05.00	20.00	25.00
नैनीताल	01	04	05.00	20.00	25.00
अल्मोडा	01	04	05.00	20.00	25.00
ऊधमसिंहनगर	02	04	10.00	20.00	30.00
चमोली	01	03	05.00	15.00	20.00
योग–	**16**	**40**	**80.00**	**200.00**	**280.00**

(कुल रूपये– दो करोड अस्सी लाख मात्र।)

17. उपरोक्त धनराशि व्यय करने के संबन्ध में धनराशि अवमुक्त संबन्धी पूर्व शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्याः– /XVII(4)–119/08–टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0।
5– समस्त अधिशासी अभियन्ता (पी0डब्लू0डी0/सिंचाई विभाग)।
6– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग।
7– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
8– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड। ।
9–समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0।
10–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम।
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी0एस0 नपलच्याल)
अपर सचिव।